

पूर्व मध्य रेल
परिचालन संरक्षा चेतावनी सं० 01/2020

विषय:- ऑलराइट सिगनल आदान-प्रदान में बरती जा रही लापरवाही ।

आलराइट सिगनल लोको पायलट, गार्ड तथा स्टेशन कर्मचारियों के बीच आदान - प्रदान यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि गाड़ी के आगे बढ़ने के लिए सब कुछ ठीक-ठाक है ।

उपर्युक्त से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 'ऑलराइट सिगनल' का आदान-प्रदान एक औपचारिकता नहीं है बल्कि गाड़ी परिचालन में संरक्षा सुनिश्चित करने की एक जिम्मेदारी है । इसमें बरती गई लापरवाही के कारण पूर्व में दुर्घटनाएं हो चुकी हैं ।

मुख्यालय अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण रिपोर्टों में ऑलराइट सिगनल आदान-प्रदान करने में पायी गई अनियमितताओं को उजागर किया गया है । प्रायः रिपोर्टों में यह कहा गया है कि ऑलराइट सिगनल का आदान-प्रदान सामान्य एवं सहायक नियम 4.42 में उल्लेखित नियमों में निहित उद्देश्य के अनुकूल नहीं किया जा रहा है । इसमें बरती जा रही लापरवाही निम्नवत है :-

गार्ड के द्वारा - जिन गाड़ियों में गार्ड का डब्बा वातानुकूलित एस.एल.आर (SLR) हो तो गार्ड सिगनल नहीं दिखाएगा परन्तु चौकस दृष्टि रखेगा एवं स्टेशन कर्मचारी द्वारा दिखाए जा रहे सिगनल को देखेगा और यदि खतरा का सिगनल दिखाया जा रहा हो तो गाड़ी को खड़ा करेगा, परन्तु गार्ड स्टेशन कर्मचारी द्वारा दिखाए जा रहे सिगनल को देखने के बजाए अपने कागजी कामों को करने में व्यस्त रहते हैं । उनका ऐसा करना संरक्षा सुनिश्चित करने के कर्तव्य में की जा रही घोर लापरवाही है ।

स्टेशन कर्मचारी के द्वारा- स्टेशन मास्टरों द्वारा ऑलराइट सिगनल का आदान-प्रदान इस उद्देश्य के लिए बनाए गए 'पीला वृत्त' से किया जाना है परन्तु उन्हें देखा गया है कि वे अपने कार्यालय के दरवाजे से ही सिगनल दिखाते हैं । स्पष्ट है कि ऐसे में उनके द्वारा गुजरने वाली गाड़ी को नजदीक से देखकर यह पता करना संभव नहीं हो पाता है कि गाड़ी सुरक्षित गुजरी या खतरा पहुंचाने वाली कोई स्थिति मौजूद थी ।

उसी प्रकार जब स्टेशन में कोई खड़ी गाड़ी के कारण या एक ही समय में दो ट्रेनों के थ्रू पास करने के कारण स्टेशन मास्टर कार्यालय से दूसरी ओर की गाड़ी जब दिखलायी नहीं पड़ती है तो ऑलराइट सिगनल का आदान-प्रदान दूसरी ओर से किया जाएगा, परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

उपर्युक्त लापरवाहियों की गंभीरता के मद्देनजर सभी मंडलों को हिदायत दिया जाता है कि इस विषय पर आवश्यक निर्देश जारी कर संबंधित कर्मचारियों को सजग बनाएं एवं दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करें।

कृपया अधोहस्ताक्षरी को की गई कार्रवाई से अवगत कराएं ।



(सलिल कुमार झा)

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सं०. पूमरे/परि० संरक्षा/एलर्ट एडवाइस/73/505

दिनांक 07.01.2020

प्रतिलिपि:

1. महाप्रबंधक के सचिव को महाप्रबंधक महोदय के सूचनार्थ ।
2. मुख्य संरक्षा अधिकारी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
3. मंडल रेल प्रबंधक-धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
4. वरि० मंडल परि० प्र०-धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
5. वरि० मंडल संरक्षा अधिकारी-धनबाद, दानापुर, मुगलसराय, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
6. प्राचार्य/क्षेत्रप्रसं-मुजफ्फरपुर एवं भूली/धनबाद-प्रशिक्षार्थियों के बीच चर्चा हेतु ।